

राजस्थान सरकार
उद्योग (गुप-2) विभाग

क्रमांक प. 15 (9) उद्योग/2/1994

जयपुर, दिनांक 26/12/2018

: आज्ञा :

राजस्थान उद्योग सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को अपराह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री दुलीचन्द गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	मुख्यालय, जयपुर	25.07.1959	31.07.2019
2.	श्री पदम कुमार जैन	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग	मुख्यालय, जयपुर	25.07.1959	31.07.2019
3.	श्री कृष्ण कुमार पारीक	सहायक निदेशक, उद्योग	मुख्यालय, जयपुर	12.09.1959	30.09.2019
4.	श्री रवि कुमार गुप्ता	सहायक निदेशक, उद्योग	मुख्यालय, जयपुर	08.08.1959	31.08.2019
5.	श्री भगवान सहाय वर्मा	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, दौसा	15.07.1959	31.07.2019
6.	श्री अमरसिंह ढाका	सहायक निदेशक, उद्योग	जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर	11.07.1959	31.07.2019
7.	श्री बृजेश कुमार शर्मा	जिला उद्योग अधिकारी	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर	08.08.1959	31.08.2019

कार्मिक (क-3) विभाग के अनुसार क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री पदम कुमार जैन, तत्कालीन महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा को अपराध संख्या 163/96 में अपील के निर्णय के अध्यक्षीन बहाल व नियमित किया गया था एवं श्री पदम कुमार जैन, तत्कालीन महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अलवर के विरुद्ध वर्तमान में एक एफ.आई.आर. संख्या 434/12 विचाराधीन है। एवं आयुक्तालय, उद्योग विभाग के अनुसार क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री अमरसिंह ढाका का प्रकरण संख्या 3491/2015 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन चल रहा है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदम कुमार जैन एवं श्री अमरसिंह ढाका के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त सभी अधिकारी अपने पद पर नियमित नियुक्ति के अन्तर्गत कार्यरत है। इनकी नियुक्ति किसी अवकाश संचित रिक्ती के विरुद्ध नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दुर्गा जोशी)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।।
3. जिला कलक्टर, जयपुर/दौसा/बीकानेर/अजमेर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक, राज्य बीमा प्रावधानी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, जयपुर/दौसा/बीकानेर/अजमेर।
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर/दौसा/बीकानेर/अजमेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/एसीआर सैल) विभाग।
10. संबंधित अधिकारीगण
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
सहायक (गुप-2) विभाग
शासन सचिवालय